



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 639 राँची, मंगलवार,

8 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-23/2023 का.-27026 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अरविन्द कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के प्रावधानों (विशेषतः कंडिका-20(xix) एवं 20(xx)) का अनुपालन नहीं करने, मनमाने तरीके से डीलरों को निलंबित करने एवं 10 दिनों के अंदर कार्यालय के कर्मियों के माध्यम से अवैध वसूली कर निलंबन मुक्त करने, धान क्रय करने के उपरांत राशि के भुगतान करने में पारदर्शिता एवं समान भावना नहीं रखने, 52 पैक्स की खरीदारी के विरुद्ध मात्र 14 पैक्स के किसानों का भुगतान करने, गलत मंशा, अवैध राशि की उगाही एवं निजी स्वार्थ में किसानों के भुगतान में मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता बरतने, राशन कार्डधारियों के जाति में अवैध तरीके से परिवर्तन करते हुए गलत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने, राईस मिलों की टैगिंग सही तरीके से नहीं करने, ससमय CMR जमा करवाने हेतु प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, हजारीबाग राईस मिल के पास खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में CMR लंबित रह जाने से 24,33,13,351/- रुपये की राजस्व क्षति होने आदि से संबंधित कुल 05 आरोप, जैसा कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1097 दिनांक- 28.03.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्राप्त उपर्युक्त आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री अरविन्द कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अरविन्द कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 78/20) एवं श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARVIND KUMAR 20080400079	श्री अरविन्द कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:20060400057
